आखिरी जांच: 6 अक्टूबर 2026 · Horticulture and Food Processing Department

Rajya Poshit Masala Kshetra Vistar Yojana

मध्य प्रदेश सरकार उन किसानों को अनुदान देती है जो बीज वाले मसाले, या हल्दी, अदरक और लहसुन की खेती शुरू करते हैं और अभी मसालों की खेती नहीं कर रहे हैं।

क्या मिल सकता है

बीज वाले मसालों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो। हल्दी, अदरक और लहसुन में रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो। अनुदान एक किसान को केवल एक बार दिया जाता है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के हर वर्ग के किसान, जो अभी मसालों की खेती नहीं कर रहे हैं।

मुख्य शर्तें

- योजना में केवल उन्हीं किसानों को बढ़ावा मिलता है जो अभी मसालों की खेती नहीं करते।
- किसान पहली बार चाहे जितने क्षेत्र में खेती कर सकता है, पर अनुदान कम से कम 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर पर मिलता है।
- अनुदान एक किसान को केवल एक बार मिलता है।
- योजना किसान की अपनी भूमि पर चलती है और किसान के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन होने चाहिए।
- आधार नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है, और वनाधिकार पत्र वाले आदिवासी किसान भी पात्र हैं।

दस्तावेज़

- फोटो
- आधार
- खसरा नंबर, बी-1 या वन पट्टे की प्रति
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र

आवेदन कैसे करें

1. उद्यानिकी विभाग के एमपीएफएसटीएस पोर्टल (mpfsts.mp.gov.in) पर अपने आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन करें।
2. फोटो, आधार, जमीन के रिकॉर्ड या वन पट्टे की प्रति, बैंक पासबुक और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए तैयार रखें।
3. मार्गदर्शन के लिए अपने जिले के उप या सहायक संचालक उद्यान, या विकासखंड स्तर के उद्यान अधिकारी से मिलें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://mphorticulture.gov.in/hi/raajaya-yaojanaaen/masaalaa-kasaetara-vaisataara
आधिकारिक आवेदन: https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/HomeIndex/NewIndex
आधिकारिक PDF: https://www.mphorticulture.gov.in/sites/default/files/%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-converted.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-masala-kshetra-vistar/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।